भारत ने पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों से वित्तीय मदद की आवाज उठाई

वैश्विक तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य है

कोच्चि, एक सितंबर (भाषा)।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के होने वाले दो अहम सम्मेलनों से पहले भारत ने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने में विकसित देशों की ओर से वित्तीय और तकनीकी सहायता देने के लिए आवाज उठाई है। पेरिस समझौते का मकसद इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से कम रखने का लक्ष्य है।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्णायक कदम उठा रहा है, जो पेरिस समझौते–2015 का केंद्र है। यहां शुक्रवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने आए जावडेकर ने कहा, 'चिली में हम जब अगली सीओपी (पक्षकारों का सम्मेलन) में मिलेंगे तब हमारा रुख प्रत्येक देश से राष्ट्रीय स्तर पर उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता का अनुपालन करने और विकसित देशों की ओर से वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराए जाने पर होगा, जो विकासशील विश्व के लिए अहम है।

जावडेकर ने सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' का हवाला देते हुए कहा कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर रोक, सौर और पवन ऊर्जा का विस्तार, पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक पौधरोपण जैसे कदमों को संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर रेखांकित किया जाएगा। इस महीने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस जलवायु कार्रवाई सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। वहीं दिसंबर में चिली की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सच है कि जलवायु परिवर्तन के लिए विकसित देश जिम्मेदार हैं। करीब 70 फीसद ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन विकसित देशों की वजह से होता है जबकि भारत की हिस्सेदारी मात्र तीन फीसद है। विकसित देशों के लोग अधिक उपभोग कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि विश्व निकाय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2020 से विकसित देशों से विकासशील देशों को 100 अरब डॉलर हस्तांतरित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

केरल में पाक के ध्वज से मिलता-जुलता झंडा लहराने पर छह छात्र निलंबित

कोझीकोड (केरल), 1 सितंबर (भाषा)।

परंबरा के निकट एक कॉलेज के छात्रों ने परिसर में चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज से मिलता–जुलता झंडा लहराया, जिसके बाद कॉलेज के छह छात्रों को निलंबित कर दिया है। निलंबित सभी छात्र फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है।

घटना का वीडियो वायरल होने पर मामला दर्ज, सभी छात्र फरार

हरे रंग का झंडा कॉलेज में हो रहे चुनाव को लेकर मुसलिम स्टूडेंट्स फेडरेशन (एमएसएफ) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लहराया गया। एमएसएफ इंडियन यूनियन मुसलिम लीग (आइयूएमएल) की छात्र इकाई है। एमएसएफ नेतृत्व ने हालांकि आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यह संगठन का आधिकारिक झंडा है, न कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है।

पुलिस ने रविवार को एजंसी को बताया कि सिल्वर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में 27 अगस्त को हुई घटना का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक मामला दर्ज किया गया है। मामला आइपीसी की धारा 153 (बलवा कराने के आशय से जानबूझकर भड़काना), धारा 143 (गैर कानूनी तरीके से जमा होना) और धारा 147 (बलवे के लिए सजा) के समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक जांच अधिकारी ने एजंसी को बताया, यह घटना वीडियो फुटेज के वायरल होने के बाद प्रकाश में आई। गैर कानूनी तरीके से जमा होने और बलवा कराने के आशय से भड़काने समेत अन्य आरोपों के लिए मामला दर्ज किया गया है। व्यापक जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी ने कहा, इस विवादास्पद झंडे में एमएसएफ का लोगो भी नहीं था। यह मानक आकार के अनुपात में भी नहीं था। इस संबंध में कॉलेज के छह छात्रों को निलंबित कर दिया गया है और वे फरार हैं।

पाबंदियों में ढील के बावजूद कश्मीर में सामान्य जनजीवन प्रभावित

श्रीनगर, 1 सितंबर (भाषा)।

घाटी के 11 और थाना क्षेत्रों में पाबंदियों में ढील के बावजूद रविवार को लगातार 28वें दिन सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा।

अधिकारियों ने बताया कि अब घाटी के 105 थाना क्षेत्रों में से 82 में कोई पाबंदी नहीं है।

29 टेलीफोन एक्सचेंजों में लैंडलाइन सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। ये एक्सचेंज पहले से चालू 47 एक्सचेंज से अलग हैं। हालांकि, लाल चौक और प्रेस एनक्लेव में सेवाएं अब भी बाधित हैं। उन्होंने बताया कि घाटी में शनिवार को शांति बनी रही और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कश्मीर में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानून–व्यवस्था खराब होने की आशंका की वजह से लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए थे। केवल एंबुलेंस को और आपात मामलों में ही आने–जाने की अनुमति थी। शनिवार सुबह अधिकतर इलाकों से पाबंदियां हटा दी गईं। अधिकारियों ने हालांकि कहा कि रविवार को लगातार 28वें दिन आम जनजीवन प्रभावित रहा। दुकानें बंद रहीं और सड़कों से सार्वजनिक वाहन नदारद रहे। परंतु श्रीनगर के कई इलाकों में निजी वाहनों की आवाजाही दिखी। शहर के सिविल लाइन इलाकों में कुछ रेहड़ी वालों ने अपनी दुकानें लगाईं। उन्होंने बताया कि घाटी के अधिकतर इलाकों में अवरोधक और पाबंदियां हटा ली गई हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षाबलों की तैनाती जारी है। पांच अगस्त को केंद्र की ओर से अनुच्छेद–370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और जम्मू–कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद से बंद बीएसएनएल ब्रॉडबैंड और निजी लीज लाइन इंटरनेट सहित मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं अभी बहाल नहीं की गई हैं।

उपराष्ट्रपति ने भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का किया उद्घाटन

गुडुरु (आंध्र प्रदेश), 1 सितंबर (भाषा)।

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रविवार को चेरलोपल्ली और रापुरु के बीच देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग और वेंकटचलम और ओबुलवारिपल्ली के बीच विद्युतीकृत रेल लाइन का उद्घाटन किया। गुडुरु रेलवे स्टेशन पर पुनर्निमित यार्ड का उद्घाटन करने के अलावा, उपराष्ट्रपति ने गुडुरु और विजयवाड़ा के बीच एक नई इंटर–सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। नायडू ने 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग को इंजीनियरिंग का चमत्कार करार दिया और कहा कि यह माल ढुलाई के निर्बाध आवागमन के लिए कृष्णापट्टनम बंदरगाह और तटीय क्षेत्र के बीच रेल संपर्क प्रदान करेगा।

437 करोड़ रुपए की लागत से बने इस सुरंग में 44 ट्रॉली रिफ्यूज और 14 पारगमन बनाए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने शनिवार शाम को नवनिर्मित ओबुलवारिपल्ली–कृष्णापट्टनम लाइन को लेकर कहा, 'मैं इसको लेकर अभिभूत व भावुक हूं कि मेरे बचपन का सपना अब सच हो गया है।' उन्होंने कहा, 'मैं भावुक हूं क्योंकि रेलवे लाइन मेरे पैतृक गांवों से गुजरती है जहां मैंने अपना बचपन बिताया। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई ट्रेन इन पहाड़ियों से होकर गुजरेगी।'

छह लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज

जयपुर, 1 सितंबर (भाषा)।

राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के घमूरवाली थाना क्षेत्र में दो दलित युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोप में छह लोगों के खिलाफ शनिवार की रात मामला दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

करणपुर के वृत्ताधिकारी प्रताप सिंह डूडी ने रविवार को बताया कि पीड़ित युवतियों ने छह आरोपियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवतियों की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार यह घटना शुक्रवार की है। पीड़िताओं से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने दोनों पीड़िताओं को पार्टी में खाना बनाने के लिए बुलाया था जहां उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया।

मेरठ के निजी मेडिकल कॉलेज में दाखिले पर रोक, एमसीआइ का फैसला बहाल रखा हाई कोर्ट ने

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 सितंबर।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरठ के एक निजी मेडिकल कालेज को दाखिले की अनुमति देने से इनकार किए जाने संबंधी भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआइ) के निर्णय को बरकरार रखा है। एमसीआइ ने मेरठ के हापुड़ रोड पर स्थित निजी क्षेत्र के मुलायम सिंह यादव मेडिकल कालेज को शैक्षणिक वर्ष 2019–20 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम के वास्ते 150 छात्रों के नए बैच को कुछ खामियों के कारण नामांकन दिए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

अदालत ने मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एमसीआइ द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के निर्णय को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट था कि कालेज संकाय और रेजिडेंट्स में जो खामियां बताई गईं थीं, जो क्रमशः 7.4 फीसद और 8.5 फीसद थीं। ये खामियां अधिकतम स्वीकार्य सीमा पांच फीसद से अधिक थीं। सुनवाई समिति ने देखा था कि चिकित्सा से जुड़ी सामग्री पिछले दो आकलन में लगातार अपर्याप्त थी।

कॉलेज ने अदालत से एमसीआइ के 18 मई के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया था। यह कॉलेज डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के परिवार का है। जो पहले सपा की एमएलसी और राष्ट्रीय सचिव थीं। इसी कारण अपने मेडिकल कालेज का नाम उन्होंने मुलायम सिंह यादव के नाम पर रखा था। लेकिन 2017 में उन्होंने सपा और एमएलसी सीट दोनों से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। तब उनकी खाली हुई सीट के उपचुनाव में भाजपा के एक मंत्री को सदन का सदस्य निर्वाचित कराया गया था। हालांकि भाजपा ने कुछ महीने बाद सरोजनी अग्रवाल को छह साल की विधान परिषद सदस्यता देकर उनका हिसाब बराबर कर दिया था।

सामूहिक बलात्कार पीड़िता की मौत : पुलिस अफसर पर लापरवाही का मामला दर्ज

मुंबई, 1 सितंबर (भाषा)।

मुंबई में 19 वर्षीय एक युवती के साथ कथित बलात्कार के मामले में निष्क्रियता को लेकर एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला की बाद में एक अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

महिला के वकील के मुताबिक, अनुसूचित जाति की उस महिला के साथ जुलाई के पहले हफ्ते में मुंबई में उसके चार दोस्तों ने कथित रूप से बलात्कार किया था। बाद में उसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 28 अगस्त को उसकी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, महिला के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील नितिन सातपुते की शिकायत के आधार पर, शनिवार को चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक दीपक सुर्वे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें सातपुते ने मामले की जांच को लेकर पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने में भी विफल रही, क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जाति की थी। सातपुते ने आरोप लगाया, 'प्रथम दृष्टया, यह पुलिस की एक गंभीर गलती है, जिसने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पीड़ित परिवार द्वारा गुहार लगाए जाने के बावजूद, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (भारत सरकार का उपक्रम)
एम ब्लॉक, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली (मिड कॉरपोरेट शाखा) एम–1,2,3, एम ब्लॉक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001 फोन : 45752401 ई–मेल : bm1048@obc.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मैसर्स एसएसएमपी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार) पंजी. कार्यालयः के–336, सरिता विहार, नई दिल्ली–110076 और: कॉर्पोरेट कार्यालयः ए 128 सैक्टर 63, नोएडा, यू.पी–2013 श्री मनोज कुंवर (बंधककर्ता / व्यक्तिगत गारंटर) पुत्र श्री धर्मनाथ कुंवर, 9004ए गौर ग्रीन सिटी, वैभव खंड इंदिरापुरम–यू.पी.–201010 और: 416ए, तृतीय तल फ्लैट नं. 07, गली नं. 2 गणेश नगर–II, शकरपुर, दिल्ली–110092 श्रीमती अनुपमा कुंवर (व्यक्तिगत गारंटर) पत्नी मनोज कुंवर 9004ए गौर ग्रीन सिटी वैभव खंड, इंदिरापुरम– यू.पी– 201010 और: 416ए, तृतीय तल, फ्लैट नं. 07, गली नं. 2, गणेश नगर–II, शकरपुर, दिल्ली –110092 को मांग नोटिस दिनांक 21.09.2017 को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. 13,52,60,519.10 (रु. तेरह करोड बावन लाख साठ हजार पाँच सौ उन्नीस और पैसे दस मात्र) दिनांक 31.08.2017 तक, और भविष्य का ब्याज, लागत, इत्यादि** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता / गारंटर उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता एवं गारंटर तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट, आदेश नं.1813/CRA/SAREFASI Act/Sec-14 में दिनांकित 03.05. 2019 को पारित आदेश के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक **कब्जा दिनांक 30 अगस्त 2019** को सरफासी के अधिनियम उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 14, के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने ले लिया है।

उधारकर्ता / सह–कर्जदार / बंधककर्ता / गारंटर्स का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता / सह–कर्जदार / बंधककर्ता / गारंटर्स को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते, बकाया राशि रू. 18,22,85,857.10 (रु. अट्ठारह करोड बाईस लाख पिचासी हजार आठ सौ सत्तावन और पैसे दस मात्र) दिनांक 31.07.2019 तक ब्याज, लागत और अन्य प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

बंधक सम्पत्तियों का विवरण

रिहायशी फ्लैट नं. 9004, 9वां तल, बिना छत के अधिकार के (पेंट हाउस), ब्लॉक ए, जिसमें एक ड्राइंग रूम, एक डाइनिंग, चार बेड रूम, चार बाथरूम / टॉयलेट, एक किचन, एक स्टोर, एक सर्वेंट का कमरा है जिसमें अटैच्ड टॉयलेट और बालकनी हैं। जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 2375 वर्ग फीट लगभग (फ्लैट कवर्ड क्षेत्रफल 1755.47 वर्ग फीट, अलमारी 28.5 वर्ग फीट, बालकनी 195. 33 वर्ग फीट, और सुपर क्षेत्रफल 395.7 वर्ग फीट) और टैरेस क्षेत्रफल 1440 वर्ग फीट (1010+430 वर्ग फीट), गौर ग्रीन सिटी, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नं. 8, जोकि वैभव खंड, इन्दिरापुरम, तहसील और जिला गाजियाबाद (यू.पी) में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती अनुपमा कुंवर पत्नी श्री मनोज कुमार कुंवर के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – 80' चौडी रोड, पश्चिम में – 120' चौडी रोड, उत्तर में – 80' चौडी रोड, दक्षिण में – 100 मी. चौडी ग्रीन बेल्ट

दिनांक : 30.08.2019, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

बीएलएस इन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड
पंजी. कार्यालय–जी–4 बी–1, एक्स्टेंशन मोहन को–ऑपरेटिव इंड. इस्टेट मथुरा रोड, नई दिल्ली–110044
CIN: L51909DL1983PLC016907; Website: http://www.blsinternational.com
Email: compliance@blsinternational.net; Contact no. +91 11-46990006; Fax: +91 11-23755264

35वीं वार्षिक साधारण सभा तथा रिमोट–ई–वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि

1. बीएलएस इन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 35वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को 3.00 बजे अप. में डा. बी.आर. अम्बेदकर ऑडिटोरियम आन्ध्र प्रदेश भवन, अशोक रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाएगी जिसमें उसकी सूचना में वर्णित साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा।
2. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए एजीएम की सूचना तथा रिमोट ई–वोटिंग के विवरणों के साथ वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ईमेल आईडी आरटीए तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास दर्ज हैं तथा उसकी भौतक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से निर्धारित पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर 30 अगस्त, 2019 को भेजी गई है। वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.blsinternational.com पर भी उपलब्ध है।
3. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 42 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन हम आपको सूचित करते हैं कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 20 सितम्बर, 2019 से 26 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक कम्पनी की 35वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से कम्पनी के सदस्यों को अभिलेख में लेने के लिए बंद रहेंगे। पुनः अधिसूचित किया जाता है कि उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट प्रस्तावों पर अपना मतदान करने के लिए भौतिक पद्धति अथवा डिमैटेरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली से ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि 19 सितम्बर, 2019 है।

सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है किः

i) रिमोट ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। बुधवार, 25 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जाएगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें बाद में उसमें परिवर्तन अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद किन्तु कट–ऑफ तिथि अर्थात 19 सितम्बर, 2019 से पूर्व कम्पनी का सदस्य बनते हैं तो लागिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं। पुनः यदि सीडीएसएल की रिमोट ई–वोटिंग प्लेटफार्म पर वह पहले से ही पंजीकृत हैं तो रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान करने के लिए वे वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

iii) सदस्यगण ध्यान रखें किः

क) एजीएम में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिए हों, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिनन फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

iv) सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में मुद्रित ई–वोटिंग से संबंधित निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप www.evotingindia.com के सहायता खण्ड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए Frequently Asked Questions (FAQs) तथा शेयरधारकों के लिए रिमोट ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com, हेल्प डेस्क नं.: 1800–200–5533 अथवा compliance@blsinternational.net पर ईमेल करें। एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाईट अर्थात www.blsinternational.com तथा सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com, www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

बीएलएस इन्टरनेशनल सर्विसेस लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेश से
हस्ता./–
अर्चणा मैनी
कम्पनी सचिव

तिथिः 31.8.2019
स्थानः दिल्ल

SRM ENERGY LIMITED
CIN L17100DL1985PLC303047
Regd. Office: 21 Basant Lok Complex, Vasant Vihar, New Delhi-110057
Tel. No. 011-41403205 | Website: www.srmenergy.in | Email: info@srmenergy.in

NOTICE

Notice is hereby given that:-

The 32nd Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on **Thursday, the 26th September, 2019 at Federation of Indian Export Organisations, Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, OPP. Army Hospital Research and Referral, New Delhi 110057 at 11:00 A.M.** and Annual Report for financial year 2018-19 have been sent to all members of the Company at their registered address in the permitted mode and soft copies of same have also been sent in electronic mode to all members whose email IDs are registered with the Company/Depository participant(s). The Annual report for F.Y. 2018-19 is also available and can be downloaded from website of the Company at www.srmenergy.in.

Pursuant to Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 along with the applicable Rules made there under, it is hereby intimated that the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday, September 20, 2019 to Thursday, September 26, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013, Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, of the Companies Act, 2013, the Company has provided all its Members (holding shares both in physical and in electronic form) the facility to exercise their vote (on the resolutions as enumerated in the Notice of the AGM), by electronic voting (e-voting) through the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The cut-off date to record the entitlement of shareholders to cast their vote electronically at the AGM is **19th September, 2019 (Thursday)**.

All the members be informed that (a) the Ordinary Businesses and the Special Businesses as set out in the Notice of 32nd AGM may be transacted by electronic voting. (b) the physical dispatch of Annual Report 2018-19 along with its electronic transmission has been completed on 31st August, 2019. (c) the voting through electronic means shall commence on **9:00 A.M. on 23rd September, 2019 (Monday) and ends on 5:00 P.M. on 25th September, 2019 (Wednesday).** (d) voting through electronic means shall not be allowed beyond **5:00 P.M. on 25th September, 2019 (Wednesday)**. (e) the Notice of the 32nd Annual General Meeting is available on the Company's website www.srmenergy.in and CDSL's website www.evotingindia.com and (f) for the process and manner of electronic voting, members may go through the instructions (at page No. 69 & 70) as contained in the Annual Report- 2018-19 or visit CDSL's website www.evotingindia.com.

In case any person become member after dispatch of the aforesaid Notice/Annual Report and holding shares as on the cut-off date i.e., 19th September, 2019, may follow the same instructions as mentioned for e-Voting in the Annual Report. The facility for voting through physical mode shall be made available at the AGM and the members attending the meeting who have not cast their vote by e-voting shall be able to exercise their right at the meeting in physical mode. The members who have cast their votes by e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Mr. Satish Kumar Nirankar of M/s S.K. Niramkar & Associates, Practicing Company Secretary has been appointed as Scrutinizer, for the ensuing AGM.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under "Help" section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or members may also contact for any query or inconvenience or grievances if any, in voting through electronic mode at phone number 011-41403205 of the Company.

By Order of the Board of Directors
For SRM Energy Limited
Sd/-
(Vishal Rastogi)
Managing Director

Place: New Delhi
Date: 01.09.2019

ADVITIYA TRADE INDIA LIMITED
CIN: L74999DL2017PLC314879
Regd. Office: 2814/6 Ground Floor, Chuna Mandi Paharganj New Delhi - 110055
E-mail ID: goyals2729@gmail.com, Website: advitiyatrades.com
NOTICE OF 3rd ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that:

1. The 3rd Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Tuesday, 24th Day of September, 2019 at 04:00 P.M. at 2814/6 Ground Floor, Chuna Mandi Paharganj New Delhi - 110055 to transact the business as set forth in the Notice of AGM.
2. In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), provided by CSDL and the business may be transacted through such voting, on all the resolutions set forth in the Notice of AGM;
3. Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.garvindustries.com. Notice of AGM and Annual Report for 2019 has been sent to all other members at their registered address in the permitted mode.
4. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 16th September, 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:
   I. The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronics means;
   II. The remote e-voting shall commence on 21st Day of September, 2019 at 9:00 A.M.;
   III. The remote e-voting shall end on 23rd Day of September, 2019 at 5.00 P.M. and thereafter E-Voting through shall not be allowed;
   IV. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 16th Day of September, 2019.
   V. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday 16th Day of September, 2019 may obtain the Login ID and Password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote;
   VI. Members may note that:
   a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 P.M. on 23rd Day of September, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently;
   b)the facility for voting through ballot paper shall be made available at venue of the AGM;
   c)the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and
   d)a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper.
   VII. The Notice of AGM is available on the Company's website www.advitiyatrades.com. and also on the CDSL's websitewww.evotingindia.com. For any queries/ grievances related to e-voting shareholders may contact to: Skyline Financial Service Private Limited, D-153-A, 1st Floor, Okhla Industries Area, Phase -1, New Delhi-110020, E-mail:info@skylinerta.com.
5. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Tuesday, 17th Day of September 2019 to Tuesday, 24th Day of September 2019 (both day inclusive).

For Advitiya Trade India Limited
Sd/-
Sandeep Goyal
Managing Director
DIN: 07762515

Place: New Delhi
Date: 02.09.2019

Gogia Capital Services Limited
CIN: L74899DL1994PLC059674
Regd Off.: 100A/1, Right Wing, The Capital Court, Ground Floor, Shopping Centre, Munirka -III, New Delhi -110067
Email: compliance@gogiacap.com Website: www.gogiacap.com

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Monday, the 30th day of September, 2019 at 10.00 a.m.at the registered office of the company at 100A/1, Right Wing, The Capital Court, Ground Floor, Shopping Centre, Munirka -III, New Delhi - 110067.

The notice of AGM and attendance slip has been sent in electronic mode to memberswhose e-mail ids are registered with the company or the depository participant(s) unless;the members have registered their request for a hard copy of the same. Physical copy of the notice of AGM and attendance slip has been sent to those members who have not registered their e-mail ids with the company or the depository participant(s).

The Copy of the Notice of AGM will also be available on the Company's website www.gogiacap.com, members, who do not receive the notice of AGM, may download it from the company's website or may request for the copy of the same by writing to the Company Secretary at the registered office of the company or at compliance@gogiacap.com. The documents pertainingto the items of business to be transactedin the Annual General Meeting are open for inspection at the registered officeof the company during business hours on any working day.

Pursuant to the Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013, read with the relevant Rules of the Act, the Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to voteby electronic means and the business may be transacted through e-voting services provided by national securities depository limited (NSDL).

The e-voting period commences on Friday, 27th September, 2019 at 9.00 am and ends on Sunday, 29th September, 2019. Once the vote on a resolution is casted by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.

The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the member(s) ason 23rd September, 2019 (Cut-off date) members are eligible to cast vote electronically only if they are holding shares as on that date. The notice of AGM will also be available on the company's website www.gogiacap.com and on NSDL website http://www.evoting.nsdl.com. The procedure of electronic voting is available in the notice of the Annual General Meeting as well as in the email sent to the members by NSDL, NSDL website http://www.evoting.nsdl.com. The company has appointed Mr. Subhash Sharma, Practicing Company secretary, New Delhi (Membership No. 47430 & COP No. 21421) to act as scrutinizer for conducting the electronic voting process in a fair and transparent manner.

The entry to the meeting venue will be regulated by attendance slips, which have been sent along with the Notice of AGM to the members. Members who have received attendance slips by electronic mode arerequested to print the Attendance slip and submit are duly filled in attendance slip at the registration counter to attend the AGM.

Please note that duplicate attendance slip will not be issued.

By order of the board
For Gogia Capital Services Limited
Sd/-
Megha Bahel
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place- Delhi
Date- 02.09.2019

गोबिन्द शुगर मिल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः बिरला मिल कॉम्प्लैक्स, पी.ओ. बिरला लाइन्स, जी.टी. रोड, क्लॉक टावर के निकट, कमला नगर, नई दिल्ली–110007
Website: www.gobindsugar.com, email: ig.gsml@adventz.com
Phone: +91-124-4827800, CIN: L15421DL1952PLC354222

67वीं वार्षिक साधारण सभा, ई–वोटिंग तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की सड़सठवीं (67वीं) वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को 2.45 अप. में बिरला मिल कॉम्प्लैक्स, पी.ओ. बिरला लाइन्स, जी.टी. रोड, क्लॉक टावर के निकट, कमला नगर, नई दिल्ली–110007 में आयोजित की जायेगी जिसमें सभा के आमंत्रण की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पदित किया जाएगा जो वित्त वर्ष 2018–19 के लिये निर्धारित प्रपत्र एओसी–3ए में संक्षिप्त वित्तीय विवरणों के साथ उनके पंजीकृत पते पर 31 अगस्त, 2019 को सभी शेयरधारकों पंजीकृत डाक से भेजी गई है। वह कम्पनी की वेबसाईट www.gobindsugar.com पर भी उपलब्ध है।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है जिसमें रिमोट ई–वोटिंग (अर्थात सभा के अन्यत्र स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान) तथा एजीएम में मतदान शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने सीडीएसएल की सेवाएं प्राप्त की हैं। ई–वोटिंग अवधि सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को 10.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा गुरुवार, 26 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग पद्धति निष्क्रिय कर दी जायेगी। अधनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अन्य विवरण इस प्रकार हैं:

1) कट ऑफ तिथि 20 सितम्बर, 2019 को भौतिक पद्धति अथवा डीमैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले कम्पनी के सदस्य ही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे।
2) जो व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद किन्तु 20 सित. 2019 की कट–ऑफ तिथि से पूर्व शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं, वे कम्पनी के रज्ट्रिार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट्स, लिंक इन्टाइम इंडिया प्रा.लि., 59 सी, चौरिंजी रोड, 3रा तल, कोलकाता– 700020 (फोन नं. + 91 33 22890540, ईमेल– (kolkata@linkintime.com) अथवा सीडीएसएल (फोन नं. 18002005533, ईमेल– helpdesk.evoting@cdslindia.com) से यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
3) एजीएम की सूचना सीडीएसएल की वेबसाईट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। ई वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिये सदस्य एजीएम की सूचना की टिप्पणी 16 देखें।
4) जिन सदस्यों ने सभा से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान किये हों वे सभा में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के लिये अधिकृत नहीं होंगे।
5) ई–वोटिंग संबंधी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिये आप www.evotingindia.com पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिये FAQ;s पर तथा शेयरधारकों के लिये ई–वोटिंग मैन्युअल देखें अथवा फोन नं. 18002005533, ईमेलः helpdesk.evoting@cdslindia.com पर सीडीएसएल से सम्पर्क करें।

एतद्द्वारा पुनः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके अंतर्गत नियमावली के प्रावधानों तथा सूचीयन विनियमनों के विनियमन 42 के अनुपालन में सूचित किया जाता है कि सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 31 सितम्बर, 2019 से 27 सितम्बर, 2019 (दोनों दिवस सहित) तक कम्पनी की एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

गोबिंद शुगर मिल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
लक्ष्मण अग्रवाल
कम्पनी सचिव

तिथिः 31 अगस्त, 2019
स्थान– गुरुग्राम